राजस्थान राज—पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

भाद्र 9, बुधवार, शाके 1938—अगस्त 31, 2016
Bhadra 9, Wednesday, Saka 1938–August 31, 2016

भाग 4 (ग)

उप—खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 31, 2016

एस.ओ. 69 :– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 5 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 28 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ. 1(8)/एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2011 दिनांक 16 सितम्बर, 2015 को अतिष्ठित करते हुए, इसके द्वारा घोषित करती है कि उपापन के निम्नलिखित प्रकारों में इलैक्ट्रोनिक उपापन का अंगीकरण अनिवार्य होगा, अर्थात् :–

1. दस लाख रुपये या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले माल और सेवाओं के उपापन; और
2. पांच लाख रुपये या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले संकर्मों के उपापन।

यह अधिसूचना 01 सितम्बर, 2016 से प्रवृत्त होगी।

[संख्या एफ.1(8) एफ.डी./जी.एफ. एण्ड ए.आर./2011]

राज्यपाल के आदेश से,

नवीन महाजन,

शासन सचिव।

FINANCE (G&T) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, August 31, 2016

S.O.69 .-In exercise of the powers conferred by sub-sub-section (2) of section 28 of the Rajasthan Transparency in Public

Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 5 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, in supersession of this department's notification number F. 1(8) /FD/GF&AR/2011 dated 16 September, 2015, hereby declares that the adoption of the electronic procurement shall be compulsory in the following types of procurement, namely :-

1. Procurement of Goods and Services having estimated value of rupees ten lakh or more ; and
2. Procurement of Works having estimated value of rupees five lakh or more.

This notification shall come into force with effect from 01st September, 2016.

[No. F.1(8)/FD/GF&AR/2011]
By Order of the Governor,
Naveen Mahajan,
Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.